# बिहार लोक सेवा आयोग
## 15, नेहरू पथ, (बेली रोड) पटना–800001

**आवश्यक सूचना**

शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक–30.05.2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–26/2023 में शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या–1154, दिनांक–21.06.2023 के द्वारा किये गये परिमार्जन को निम्नांकित रूप से समाहित किया जाता है:–

1. विज्ञापन की कंडिका–4(A) विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1–5) के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी॰ए॰एड॰/बी॰एससी॰एड॰ की चार वर्षीय उपाधि की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि नियुक्त होने के दो साल के अन्दर एन॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।
2. विज्ञापन की कंडिका–4(A) विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1–5) के पद पर नियुक्ति हेतु बी॰एड॰ के अलावा बी॰एड॰ (विशेष) को भी प्रशिक्षण की अनुमान्य अर्हता इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3. विज्ञापन की कंडिका–4(C) कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह (ii) विज्ञान के अन्तर्गत जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र के अलावा Biotechnology/ Microbiology को भी समाहित किया जाता है।
4. विज्ञापन की कंडिका–4(C) कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह (iii) सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जायेगा।
5. विज्ञापन की कंडिका–4(M) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) Paper-1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते परीक्षा का आयोजन दिनांक–31.08.2023 तक पूर्ण हो जाय। उन्हें इस परीक्षा में 31.08.2023 तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड/आवेदन पत्र एवं परीक्षाफल सहित अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरान्त उनकी पात्रता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व–घोषणा (Self-declaration) भी देना होगा।

विज्ञापन की शेष शर्तें एवं सूचनाएँ यथावत रहेंगी।

22.6.2023

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।